न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
102 / 2023	26.05.2023	08.07.2025

बउनवान

1. जयकिशन पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. सत्यमती यादव पत्नी कृपाल सिंह जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र श्री महासिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड लैण्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

श्री जगन्नाथ यादव :– अधिवक्ता वादी

वादी ने अपने वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि

1. यह है कि आराजी ख० नं० हाल 771 / 0.21 है०, वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राजस्थान में स्थित है। जो आराजी उक्त वाद में विवादित आराजी कहलायेगी। नकल जमाबन्दी हाल संलग्न वाद पत्र है।
2. यह है कि उक्त विवादित आराजीयात हाल ख० नं0 771 रकबा 0.21 है0, में मिन वादी का 1 / 3 भाग व प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकोर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

2अ यह है कि आराजी ख0 नं0 771 रकबा 0.21 है०, में वादी द्वारा बैयनामे से खरीद हिस्सा 13/112 भाग एवं पूर्व से जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/3 भाग कुल 151/336 भाग व प्रतिवादी सं0 1 दलीप का पूर्व से ही 5/28 भाग व प्रतिवादी सं0 2 सत्यवती के बेचान पश्चात 1/42 भाग एवं प्रतिवादी सं0 3 राजेन्द्र का बेचान के पश्चात 39/112 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। घोषित किया जावे एवं तकासमा की रिलीफ मिन वादी विड्रो करना चाहता है।

3. यह है कि प्रतिवादी सं0 3 ने उक्त आराजी जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा खरीद की हुयी है तथा इंतकाल अभी दर्ज नहीं हुआ है इसलिये प्रतिवादी सं0 3 को उक्त वाद में पक्षकार बनाया गया है।

4. यह है कि उक्त विवादित आराजी के राजस्व रिकोर्ड में मिन वादी प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम का अंकन सामलात में दर्ज हो रहा है तथा प्रतिवादी सं0 3 का राजस्व रिकोर्ड में अंकन नहीं हुआ है मौके पर मिन वादी व प्रतिवादी सं० 1 ल० 3 अपने अपने हिस्सेनुसार आराजी पर काबिज होकर सामलात में काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजी का आज दिन तक विधिक तकासमा नहीं हुआ है।

5. यह है कि दिनांक 25/05/2023 को प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 एकराय होकर मिन वादी के हिस्से की आराजी पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तथा मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा किया जिस पर मिन वादी ने मना किया तो प्रतिवादीगण आमादा लडाई झगडा हो गये तथा एलानिया धमकी दी है कि हम विवादित आराजी में अपने हिस्से को बिना विधिक तकासमा कराये ही बेचान कर देगें तथा बिना तकासमा कराये ही निर्माण कार्य करेगें तथा तुम्हे काश्त नहीं करने देगें तथा आराजी से बेदखल कर देगें बस यही वाद हेतू बिनायदावी व बिनाय मुखास्मत पैदा होकर दावा अन्दर अवधि पेश है। (6) यह है कि विवादित आराजी मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 की सामलाती आराजी रही है तथा राजस्व रिकोर्ड में भी मिन वादी व प्रतिवादी सं0 1 व 2 के नाम का अंकन हो रहा है तथा प्रतिवादी सं0 3 जयें बैयनामा खरीद से हिस्सेदार है लेकिन प्रतिवादीगण सामलाती इन्द्राज का बेजा फायदा उठाकर विवादित आराजी को बिला तकासमा कराये ही बेचान करने व निर्माण करने पर उतारू हो रहे है तथा मिन वादी को उसके हिस्से से बेदखल करना चाहते है जबकि आराजी सामलाती है तथा सामलाती आराजी होने के कारण सुविधा का सन्तुलन व बैलेंस ऑफ कन्वीनेंस मिन वादी के पक्ष में आयद वो साबित है तथा यदि वाकई प्रतिवादीगण द्वारा मिन वादी के हिस्से पर जबरन कब्जा कर लिया जाता है तथा हम वादी को आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तथा अपने हिस्से को बिला विधिक तकासमा कराये ही बेचान कर दिया जाता है या निर्माण कर लिया जाता है तो वादी को नापूर्ती होने वाली क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी भी प्रकार से रूपयें पैसों में नहीं आंकी जा सकेगी तथा दावा करना ही बैमायना हो जायेगा चूंकि मिन वादी के अधिकार कानून द्वारा रक्षित है

इसलिये मिन वादी अपने अधिकारों की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को हु0 ई0 दवामी से पाबंद कराने का अधिकारी है। इसलिये दावा हु0 ई0 दवामी पेश करना लाजिमी आया है।

वादी ने अपने वाद पत्र के माध्यम से अनुतोष चाहा गया है कि
अतः प्रार्थना है कि वाद वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिकी फरमाया जावे।

(अ) यह है कि उक्त विवादित 2 अ. यह है कि आराजी ख० नं0 771 रकबा 0.21 है, में वादी द्वारा बैयनामे से खरीद हिस्सा 13/112 भाग एवं पूर्व से जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/3 भाग कुल 151/336 भाग व प्रतिवादी सं0 1 दलीप का पूर्व से ही 5/28 भाग व प्रतिवादी सं0 2 सत्यवती के बेचान पश्चात 1/42 भाग एवं प्रतिवादी सं0 3 राजेन्द्र का बेचान के पश्चात 39/112 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित कराने के अधिकारी है। घोषित किया जावे एवं तकासमा की रिलीफ मिन वादी विड्रो करना चाहता है।

(ब) यह है कि डिकी हु0 ई0 दवामी से प्रतिवादीगण को पाबंद किया जावे कि वो विवादित आराजी हाल ख० नं0 771 रकबा 0.21 है0, वाके ग्राम पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर में स्थित है को कहीं रहन बैय हिबा इत्यादि से मुन्तकिल ना करे ना ही मिन वादी के काश्त कार्य में मजाहमत पैदा करे ना ही वादी को आराजी से जबरन बेदखल कर आराजी पर कब्जा करे।

(स) यह है कि खर्चा मुकदमा मिन वादी को प्रतिवादी सं0 1 ल0 3 से दिलाया जावे।

(द) दीगर दादरसी जो बनजदीक अदालत हो बख्शी जावे।

वादी का वाद को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल करवाई गई, प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामिल होने के बाद उपस्थित होकर इकबाल जबाव दावा प्रस्तुत किया गया। जो पत्रावली शामिल है।

वादी ने अपने दावे के समर्थन में प्रदर्श – 1 जमाबन्दी सम्वत 2071–2074, प्रदर्श–2 बैयनामा दिनांक 26.12.2023, प्रदर्श– 3 बैयनामा दिनांक 07.09.2022 पेश किया गया।

वादी वकील ने अपने बहस के दौरान कथन कहे कि विवादित आराजी को जरिय रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.09.2022 से प्रतिवादी संख्या 02 ने 39/41 दर 41/84 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान कर दिया गया था। तद्पश्चात प्रतिवादी संख्या 03 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26.12.2023 से विवादित आराजी का 13/112 हिस्सा का बेचान वादी को कर दिया

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

गया था। जिसका राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद नही हुआ है। वक्त खरीद से वादी कब्जा काश्त करता आ रहा है। मौके पर किसी प्रकार का कोई विवाद नही है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर वादी व प्रतिवादीगण के नाम को विवादित आराजी में मुताबिक अनुतोष राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें।

पत्रावली, वादी के वाद के सलग्न दस्तावेजात का अवलोकन व वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन करने पर विवेचन इस प्रकार है कि प्रदर्श–3 जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 07.09.2022 से प्रतिवादी संख्या 02 ने 39/41 दर 41/84 हिस्से को प्रतिवादी संख्या 03 को बेचान कर दिया गया था। तद्पश्चात प्रतिवादी संख्या 03 ने जरिये रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 26.12.2023 से विवादित आराजी का 13/112 हिस्सा का बेचान वादी को कर दिया गया था। ऐसी स्थिति में आराजी ख० नं0 771 रकबा 0.21 है0 में वादी द्वारा बैयनामे से खरीद हिस्सा 13/112 भाग एवं पूर्व से जमाबन्दी में वादी का हिस्सा 1/3 भाग कुल 151/336 भाग व प्रतिवादी सं0 1 को 5/28 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/42 भाग एवं प्रतिवादी सं0 3 को 39/112 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को यह न्यायालय स्वीकार किये जाने योग्य पाता है।

आदेश

उक्त विवेचन के अनुसार न्यायालय वादी के वाद को स्वीकार किया जाता है एवं आराजी ख0 नं0 771 रकबा 0.21 है0, में वादी को 151/336 भाग व प्रतिवादी सं0 1 दलीप को 5/28 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/42 भाग एवं प्रतिवादी सं0 3 को 39/112 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम व हिस्से को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

यह निर्णय आज दिनांक 08.07.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर खैरथल तिजारा राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (आर.ए.एस)

वाद संख्या	दायर दिनांक	पर्चा डिक्री दिनांक
102/2023	26.05.2023	08.07.2025

बउनवान

1. जयकिशन पुत्र नेतराम जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

:– वादी

बनाम

1. दलीप सिंह पुत्र श्री जयसिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
2. सत्यमती यादव पत्नी कृपाल सिंह जाति अहीर निवासी श्रीकृष्णनगर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
3. राजेन्द्र पुत्र श्री महासिंह जाति अहीर निवासी पदमाडा खुर्द तहसील मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
4. राजस्थान सरकार जरिये लेण्ड लैण्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।
5. श्रीमान उप पंजियक महोदय मुण्डावर जिला खैरथल तिजारा राज0।

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

–: पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **श्री जगन्नाथ यादव एडवोकट व** प्रतिवादी की अनुपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 08.07.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, उपखण्ड अधिकारी मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश हुआ। वादी के वाद को **पर्चा डिक्री किये जाने के आदेश दिये जाते है :–**

आराजी ख0 नं0 771 रकबा 0.21 है0, में वादी को 151/336 भाग व प्रतिवादी सं0 1 दलीप को 5/28 भाग व प्रतिवादी सं0 2 को 1/42 भाग एवं प्रतिवादी सं0 3 को 39/112 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार मुण्डावर उपरोक्तानुसार वादी व प्रतिवादीगण के नाम व हिस्से को राजस्व रिकोर्ड में अमल दरामद किया जावें। खर्चा अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 24.06.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर (खैरथल–तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
उपखण्ड अधिकारी
मुण्डावर, खैरथल तिजारा राज0